न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 22/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
पूर्णाराम पुत्र नरसीराम जाति माली निवासी जायल तहसील जायल।		तहसीलदार, जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री राजेश रावल अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 28.05.18

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 2/2015 सरकार बनाम पूर्णाराम में निर्णय दिनांक 01.01.16 के तहत मौजा जायल के खसरा नं. 1424 व 1166 गै.मु. गोचर व रास्ता भूमि पर अतिक्रमण नही हटाये जाने से संबंधित पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाये जाने के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 19.12.16 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 01.03.16 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है तथा गलत रूप से उनकी उपस्थिति आदेशिका में दर्ज की गई है, जिस कारण अपीलांट को निर्णय की पहले जानकारी नही हो सकी, करीब 7–8 रोज पहले अपीलांट को तहसील जाने पर इस संबंध में जानकारी हुई, जिस पर उसने नकल प्राप्त की तथा पश्चात अपील प्रस्तुत की। जिससे अपील जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत की है। फिर भी अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को कन्डोन किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व, अवैध, तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

2}(II)–उक्त पत्रावली में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत गलत मौका रिपोर्ट को आधार मानकर सार्वजनिक रास्ते की जायगा पर अतिक्रमण मानकर निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्ण रूप से गलत व विधि विरूद्व है। क्योंकि हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 10.11.15 मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत तैयार की गई है तथा अपीलांट की कब्जासुद जायगा को गलत रूप से खसरा नं. 1166 में होना दर्शित किया है। जबकि अपीलांट का कब्जा खसरा नं. 1424 में वर्षो से स्थित है, जिसमें निर्माण भी हो रखा है। इस संबंध में किसी प्रकार की जांच किये बगैर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट अथवा उसके अधिवक्ता को किसी प्रकार की सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया, निर्णय दिनांक 01.01.16 में अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थिति गलत प्रकार से दर्ज की गई है। दिनांक 01.01.16 को अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र खसरा नं. 1166 की टीम गठित की जाकर सीमाकंन करवाया जाने बाबत पेश करने का उल्लेख किया है, जो पूर्ण रूप से गलत है, उक्त प्रार्थना पत्र अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में दिनांक 11.12.15 को प्रस्तुत किया गया था, जिस दिन की आदेशिका में उनके हस्ताक्षर भी मौजूद है। उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का जवाब प्राप्त किये बिना ही तथा बगैर बहस सुने ही खारिज कर अपीलांट व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अंतिम निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरूद्व व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कमीश्नर नियुक्ति के आवेदन पत्र जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि खसरा नं. 1063 व खसरा नं. 1166 की सीमाओं की जांच कमेटी गठित कर

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर

जावे तथा यदि अपीलांट का कब्जा भौतिक रूप से सीमा में कायम करने के पश्चात खसरा नं. 1166 रास्ते की भूमि में पाया जाता है तो अपीलांट अपना कब्जा हटाने को तैयार है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर किसी प्रकार की जांच किये बगैर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्व है, तहसीलदार द्वारा जानबूझकर मौके के सही हालात व स्थिति को पत्रावली का भाग नही बनाया गया है, क्योंकि वो स्वयं इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि यदि राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर सही नाप चौप करवाया गया तो अपीलांट का कब्जा खसरा नं. 1424 में जो कि गै.मु. आबादी दर्ज है, उसमें आयेगा तथा अपीलाधीन आदेश की आड में जिस व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जा रहा है, उसे वह लाभ नही दिया जा सकेगा, इसलिये अपीलांट व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में पीठ पीछे निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

{2}(V)–हल्का पटवारी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.15 में अपीलांट सहित 6 व्यक्तियों द्वारा खसरा नं. 1166 व 1424 मे अतिक्रमण करने के तथ्य का उल्लेख किया है, जबकि मौका रिपोर्ट में जो अतिक्रमण दर्शित किया गया है, यद्यपि वह गलत है, फिर भी उक्त जायगा के दोनो ओर पूर्व व पश्चिम में चिपते ही कई पक्के मकान बने हुए है, उनके संबंध में किसी प्रकार का उल्लेख अपनी रिपोर्ट में नही किया है, यदि अपीलांट व अन्य व्यक्तियों का कब्जा व निर्माण जिसे मौका रिपोर्ट में दर्शित किया गया है, रास्ते का भाग है तो उसके पूर्व व पश्चिम में चिपते ही बने सभी निर्माण रास्ते का भाग होने चाहिये, जिन्हे उक्त मौका रिपोर्ट में दर्शित तक नही किया गया है, खसरा नं. 1063 के खरीददार रामानंद को गलत रूप से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मात्र कुछ व्यक्तियों के विरूद्व जो खसरा नं. 1063 के दक्षिण में खसरा नं. 1166 के पश्चात गै.मु. आबादी खसरा नं. 1424 में काबिज है, उन्हीं के विरूद्व उक्त कार्यवाही मिलावट करके की गई है तथा इसी उद्देश्य से अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

{2}(VI)–उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुछ भू माफिया लोगो की मदद करने के उद्देश्य से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में वास्तविक स्थिति यह है कि खसरा नं. 1424 व खसरा नं. 1063 के मध्य खसरा नं. 1166 के रास्ते की जो जायगा थी, उस पर खसरा नं. 1063 के खरीददार रामानंद सोनी पुत्र हनुमान प्रसाद सोनी ने अतिक्रमण कर अपने खेत की जायगा में शामिल करते हुए, उसे छोटे छोटे भूखण्डों के रूप में विक्रय करना शुरू कर दिया, उसके द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 06.05.15 दस्तावेज पंजीयन सं. 2015000880 जो कि नथूराम के पक्ष में निष्पादित किया गया, उक्त जायगा को भी मौका रिपोर्ट में खसरा नं. 1166 का भाग होना दर्शित किया जाकर उसे भी अतिक्रमी माना है। रास्ता खसरा नं. 1166 जो कि खसरा नं. 1063 के चिपते ही लगता है, उस संपूर्ण जायगा पर रामानंद सोनी द्वारा कब्जा कर रखा है तथा गलत रूप से रास्ते को खसरा नं. 1424 के गै.मु. आबादी में दर्शित करवाकर नुकसान कारित करने पर आमादा है क्योंकि खसरा नं. 1166 की रास्ते की भूमि को सम्मिलित करते हुए भूखण्ड विक्रय करने के पश्चात जिन लोगो को रास्ते की जायगा के भूखण्ड विक्रय किये गये उन लोगो के द्वारा गलत रूप से शिकायते करवाकर भू अभिलेख निरीक्षक से मिलावट कर गलत मौका रिपोर्ट तैयार करवाई गई है, जो माने जाने योग्य नही है। साथ ही खसरा नं. 1063 की जायगा का सही रूप से सीमाकंन किया जाने पर खसरा नं. 1166 की जायगा स्वतः ही खसरा नं. 1063 में सम्मिलित करने का तथ्य स्पष्ट हो जायेगा। खसरा नं. 1424 गै.मु. आबादी में जो मकानात बने हुए है, वे सभी पुराने बने हुए है, जिनका इन्द्राज भी खसरा परिवर्तित निर्धारण में आया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों की बारीकी में नही जाकर तथा मौके की स्थिति का सही मूल्यांकन नही कर मात्र भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 10.11.15 जो की मिलावट कर तैयार की गई है, उसके आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

{2}(VII)–भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.15 में संपूर्ण खसरा नं. 1424 को गै.मु. ओरण होना दर्ज किया है, जबकि वर्तमान में खसरा नं. 1424 का काफी हिस्सा राजस्व रेकर्ड में गै. मु. आबादी दर्ज है, जिसे खसरा नं. 1424/1 व 1424/52 दर्ज किया हुआ है, इसी में मालियों की ढाणी व इन्द्रा कॉलोनी के संपूर्ण मकानात बने हुए है, जिसे मौका रिपोर्ट में कही भी दर्शित नही किया गया है, साथ ही मौका रिपोर्ट दिनांक 29.12.15 में खसरा नं. 1166 के संबंध में दी गई है, जबकि अपीलांट की कब्जासुद जायगा खसरा नं. 1424 के गै.मु. आबादी क्षेत्र में स्थित है, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकार की जांच किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

{2}(VIII)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में अपीलांट की आपत्ति पर किसी प्रकार की जांच नही की, न कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत हुआ है, पटवारी द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया वो एकपक्षीय था, जिसको प्रमाणित करने हेतु पटवारी के सशपथ बयान लिये जाने तथा पटवारी से जिरह करने का अवसर अपीलांट को दिया जाना आवश्यक था, पटवारी का प्रतिवेदन अप्रमाणित था व रहा है, जिसे सही मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, निरस्तनीय है।

{2}(IX)–धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की कार्यवाही में जब अप्रार्थी द्वारा पटवारी की रिपोर्ट को चुनौती दी जाती है तो न्यायालय का दायित्व बनता है कि इस बाबत जांच करे, यद्यपि वह जांच संक्षिप्त हो सकती है, परंतु किसी प्रकार की जांच किये बिना आदेश पारित किया जावे तो वह आदेश वैधानिक नही है, इस प्रकरण में आपत्ति के बावजूद किसी प्रकार की जांच नही की गई, न पटवारी से जिरह का अवसर दिया गया, न पटवारी के सशपथ बयान ही लिये गये, ऐसी दशा में कोई जांच न होने से अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

{2}(X)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91(6) के तहत मुकदमा दर्ज करवाने के आदेश देने में कानूनी व वाक्याति गलती की है, साथ ही अपीलांट का कब्जा खसरा नं. 1166 की भूमि पर होने बाबत किसी प्रकार की साक्ष्य नही होते हुए भी अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1980 पेज 483 से 485 नजीरे पेश की है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (6) के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलांट को 15 दिवस में अतिक्रमण हटा लिये जाने को लेकर दिये गये नोटिस की पालना नही करने पर उसके विरूद्व प्राथमिकी दर्ज करवाये जाने से संबंधित फर्द अहकाम दिनांक 01.01.16 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा अपना पक्ष भी रखा गया है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा यह भी कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.01.16 को पारित आदेश धारा 91 (6) के तहत संबंधित पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाये जाने को लेकर है। जिसकी अपील इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार की नही है। जिसके आधार पर भी अपील चलने योग्य नही है।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके जायल के खसरा नंबर 1424 व 1166 गै.मु. गोचर व रास्ता भूमि पर अतिक्रमण अपीलांट द्वारा किया जाना पाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (6) के तहत दर्ज किया जाकर अतिक्रमण हटाये जाने की 15 दिवस में अपेक्षा की गई। मगर अतिक्रमण नही हटाये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाये जाने का आदेश दिनांक 01.01.16 को पारित किया गया। जिस पर पुलिस थाना जायल में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 12/25.1.16 दर्ज होना अपीलांट ने अपनी अपील में कथन किया है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (6) के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाये जाने का आदेश पारित किया गया है। इससे संबंधित अनुसंधान एवं नतीजे से संबंधित कार्यवाही पुलिस एवं ज्यूडीशियल न्यायालय से संबंधित कार्यवाही है तथा इस प्रकरण में अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाये जाने का विनिश्चय किया गया है। जो उनका अंतिम आदेश नही है तथा जब मामले में कोई अंतिम आदेश ही नही है तो ऐसे मामले की अपील कानूनन चलने योग्य भी प्रतीत नही होती है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील चलने योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर